वित्त मंत्रालय

कचे पाम तेल, आरबीड़ी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कचे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कचे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित

Posted On: 15 JUN 2017 10:46AM by PIB Delhi

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है। इसके लिए संख्या एस.ओ. 748 (ई) देखें:-

उपर्युक्त अधिसूचना में, **तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3** के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

तालिका-1

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप- शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	शुल्क (टैरिफ) मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पाम तेल	716
2	1511 90 10	आरबीडी पाम तेल	737
3	1511 90 90	अन्य - पाम तेल	727
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	744
5	1511 90 20	आरबीडी पामोलीन	747
6	1511 90 90	अन्य - पामोलीन	746
7	1507 10 00	कच्चा सोयाबीन तेल	812
8	7404 00 22	पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)	3287
9	1207 91 00	पोस्ता दाना	2510

तालिका-2

क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 321 और 323 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	415 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 322 और 324 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है	551 प्रति किलोग्राम

		तालका-उ		
क्र. सं.	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/ टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमेरिकी डॉलर प्रति मीदिरक टन)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	080280	सुपारी	3320	

वीके/एजे/पीबी-1754

(Release ID: 1492968) Visitor Counter: 6

f © in